

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

( नियम 26 )

13

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़  
चण्डकामा बनाम मादक  
 मुकदमा प्राथमिक पत्र नं. 01 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13 <sup>6</sup> / <sub>23</sub>	<p>उपरोक्त प्राथमिक पत्र / प्राथमिक पत्र में ग्राम विलीया पण्ड नगरी लिखित आराजी सम्पत्ता 2 रकब 0.7200 हे. की पत्थरगटी काटे जाते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आराजी प्राथमिक के नाम श्वेतेशरी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त प्राथमिक का प्राथमिक पत्र खीटा किया जाकर ग्राम विलीया पण्ड नगरी तहसील बस्ती लिखित आराजी सम्पत्ता 2 रकब 0.7200 हे. की बिना किली के कल्पे में दखलाने की फिर लेटरलेटर नम्बर अनुसार पत्थरगटी फिर जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बस्ती को लिखा जावे। पालन रिपोर्ट प्राप्त हो। पत्थरगटी फल श्रुमार होकर नम्बर से काम हो। पुनश्च: शुल्क 700 = 00 अफने एत जो नम्बर प्राथमिक रहण कोसे।</p> <p style="text-align: right;">( 13/6/23 )</p> <p style="text-align: right;">(रायचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>	